संख्या- 126 /2022/ 499/चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अन्तर्गत देशभक्तिपूर्ण लघु फिल्मों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5492/सं0नि0-15(105)/2021-22 दिनांक 30 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अन्तर्गत देशभक्तिपूर्ण लघु फिल्मों के निर्माण कराये जाने हेतु रू0 59.00 लाख (रूपये उन्सठ लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(5) उक्त धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(6) प्रस्तावित कार्य हेतु एक Creative team - विशेषज्ञ इतिहासकार, साहित्यकार, विश्वविद्यालयों के सुविज्ञ प्राध्यापकों की तैयार की जायेगी।

(7) प्रस्तावित कार्य हेतु भली भॉति शोध कराते हुए मौके पर शहीद स्थलों, शहीद ग्रामों, बलिदानियों की घटनाओं से जुडे शौर्य स्थलों की Cinematography फिल्मांकन कराकर, फिल्म बनवाई जाये।

(8) इसके अन्तर्गत शहीदो/स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजन, जनपद के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार भी इसमें सम्मिलित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) लघु फिल्मो के निर्माण हेतु नियमानुसार अन्य संस्थाओं से भी प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा प्राप्त प्रस्तावो का परीक्षण कर अन्तिम रूप से निर्णय लेने के लिए निम्नवत समिति निर्धारित की जाती है:-

1-	निदेशक, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0	अध्यक्ष
2-	निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार लखनऊ	सदस्य
3-	निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान	सदस्य
4-	श्रीमती रीनू रंगभारती, सहायक निदेशक संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 ।	सदस्य
5-	श्री अमित अग्निहोत्री, सहायक निदेशक संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 ।	सदस्य
6-	सहायक लेखाधिकारी , सहायक निदेशक संस्कृति निदेशालय उ0प्र0	सदस्य

उक्त समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि रू0 59.00 लाख (रूपये उन्सठ लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी -चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन की जायेगी।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 126 /2022/ 499 /(1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।